"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2006—चैत्र 17, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

फा. क्र. 2985/943/21-ब/छ.ग.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु, इस विषय पर प्रवृत्त नियमों को अतिष्ठित करते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(3) यह छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों पर लागू होगा.

परिभाषाएं.

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में परिभाषित अधिवक्ता;

(ख) "मुख्य न्यायाधिपति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है, नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) के पदों पर नियम 5 के उपनियम (1) में विहित रीति में की गयी सीधी भर्ती;

(घ) "जिला न्यायाधीश" में शामिल है जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश;

(ङ) "बाह्य सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 9 के उपनियम (7) में यथा परिभाषित सेवा;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार;

(ज) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ड) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति.

सेवा का गठन. 3. (1) सेवा में निम्नलिखित प्रवर्ग होंगे, अर्थात् :—

(क) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)
(वेतनमान रु. 16750-400-19150-450-20500);

(ख) जिला न्यायाधीश (चयन/प्रवर श्रेणी)
(वेतनमान रु. 18750-400-19150-450-21850-500-22850);

(ग) जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल)
(वेतनमान रु. 22850-500-24850);

खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में उपबंधित वेतनमान वर्तमान अनुपात का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पुनरीक्षण के अध्यधीन समय-समय पर पुनरीक्षण योग्य होगी.

(2) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय मूल या स्थानापन्न रूप में जिला न्यायाधीश का पद धारण करते हों.

(ख) व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में सीधे या पदोन्नति द्वारा भरे गए हों.

सेवा की सदस्य संख्या.

4. सेवा की संख्या ऐसी होगी जैसी कि राज्यपाल द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार निर्धारित किया जाय :

परंतु नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (ख) तथा (ग) में पदों की संख्या जिला न्यायाधीश संवर्ग के कुल पदों की संख्या के क्रमश: 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत होंगे.

परंतु यह और कि जब नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क), (ख) या (ग) में नियुक्त सेवा का कोई सदस्य किसी विभाग में या राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम या बाह्य सेवा या मुख्य न्यायाधिपति या उच्च न्यायालय द्वारा किसी पद पर सेवा के लिए सेवा संवर्ग से भिन्न किसी पद पर अपेक्षा की जाने पर प्रतिनियुक्ति में पदस्थ होता है, तब उसका पद सेवा संवर्ग संख्या में रिक्ति करते हुए संवर्गबाह्य पद, माना जायेगा.

भर्ती तथा नियुक्ति का तरीका.

5. (1) नियम 3 के उपनियम (1), प्रवर्ग (क) में पदों की भर्ती तथा नियुक्ति निम्नानुसार की जायेगी :—

(क) 50 प्रतिशत व्यवहार न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) के बीच से योग्यता सह वरिष्ठता तथा उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(ख) 25 प्रतिशत व्यवहार न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी) के बीच से, जो 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगी परीक्षा में सर्वथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, तथा

(ग) 25 प्रतिशत योग्य अधिवक्ताओं के बीच से उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा :

परन्तु प्रवर्ग (क) तथा (ख) के पद पर पदोन्नति तथा प्रवर्ग (ग) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा विहित किया जाए.

(2) नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (ख) तथा (ग) की नियुक्ति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी.

परन्तु नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए सेवा के सदस्य की नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह जिला न्यायाधीश संवर्ग के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा न कर चुका हो तथा नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए सेवा के सदस्य की नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक वह चयन/प्रवर श्रेणी, जिला न्यायाधीश संवर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा न कर चुका हो.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के लिए आरक्षण.

6. (1) नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन सीधी भर्ती के पदों के लिए 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत पद क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसे पद एक वर्ष के अवसान के पूर्व पुन: विज्ञापित किए जाएंगे तथा यदि पुन: उपरोक्त वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो ऐसे पद अनारक्षित की तरह माने जाएंगे.

(2) नियम 5 के उपनियम (1) के वर्ग (ग) के अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा.

स्पष्टीकरण :—"समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य में आरक्षण.

नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन सीधी भर्ती के लिए योग्यता.

7. (1) कोई व्यक्ति सीधी भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह—

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) जब नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाया गया हो उस वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो तथा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट होगी,

(ग) नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए जाने के वर्ष की 1 जनवरी को अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष से व्यवसाय न कर रहा हो,

(घ) अच्छे चरित्र का न हो तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ न हो तथा ऐसी कोई शारीरिक अथवा मानसिक निर्योग्यता से मुक्त न हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के अनुपयुक्त बनाता हो.

(2) कोई व्यक्ति सीधी भर्ती के लिए अयोग्य होगा, यदि;

(क) उसकी एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो;

(ख) उसे किसी उच्च न्यायालय, शासन, विधिक अधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो,

(ग) उसे किसी अनैतिक अपराध में दोषसिद्ध या किसी उच्च न्यायालय या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या सरकार द्वारा विधिक प्रावधानों के अधीन गठित कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या अयोग्य करार दिया गया हो,

(घ) उसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो.

नियुक्ति प्राधिकारी.

8. (1) नियम 3 के उपनियम (1) प्रवर्ग (क) की समस्त नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार की जाएंगी.

(2) नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (ख) तथा (ग) की समस्त नियुक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा की जाएंगी.

परिवीक्षा.

9. (1) नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपबंधों के अधीन नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर तथा नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के उपबंधों के अधीन नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाएगा.

(2) नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपबंधों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) के पदों में नियुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा तैयार योजना के अनुसार एक वर्ष के न्यायिक प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे जिसमें राज्य न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण या/और अन्य ऐसी प्रशिक्षण संस्था/अकादमी जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए, में प्रशिक्षण सम्मिलित होगा.

(3) उच्च न्यायालय किसी भी समय परिवीक्षा या स्थानापन्न, यथास्थिति, की कालावधि को बढ़ा सकेगी परन्तु परिवीक्षा या स्थानापन्न, यथास्थिति की पूर्ण कालावधि सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(4) उच्च न्यायालय परिवीक्षा या स्थानापन्न पूर्ण होने के पहले किसी भी समय यथास्थिति सीधी भर्ती की सेवा के सदस्य की सेवा समाप्ति या सेवा के पदोन्नत सदस्य को, उसके मूल पद जिससे वह पदोन्नत हुआ है, पर प्रत्यावर्तन की अनुशंसा कर सकेगा.

(5) यथास्थिति परिवीक्षा या स्थानापन्न सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन या पदोन्नत को सेवा में इस बात के होते हुए कि स्थायी पद उपलब्ध है अथवा नहीं, स्थायी माना जायेगा एवं यथास्थिति उसे परिवीक्षा या स्थानापन्न के पूरे अवधि के वार्षिक वेतनवृद्धि आहरण की अनुमति दी जायेगी.

(6) परिवीक्षा पर नियुक्त अथवा स्थानापन्न रूप में पदोन्नत सेवा का व्यक्ति तब तक उस रूप में बना रहेगा, यथास्थिति जब तक उसे स्थायी या सेवामुक्त या प्रत्यावर्तित न कर दिया जाये.

पदस्थापना तथा स्थानांतरण.

10. रजिस्ट्री अथवा रजिस्ट्री से संबंधित सदस्यों जिनकी पदस्थापना और स्थानांतरण मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किये जाते हैं, के सिवाय सेवा के सदस्यों की सभी पदस्थापना और स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किये जायेंगे.

वरिष्ठता.

11. (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय पर मूल या स्थानापन्न पद पर सेवा धारण करने वाले सदस्यों की संबंधित वरिष्ठता वही होगी जैसी कि इन नियमों के प्रारंभ होने पर विद्यमान थे.

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) के पद, नियम 5 के उप नियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्धारित कोटा के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा भरी जाएगी. इस तरह चक्रानुक्रम में प्रथम 2 पद कनिष्ठ संवर्ग से पदोन्नत हेतु, 1 पद सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत सदस्य एवं 1 पद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के लिए आरक्षित किये जाएंगे. इसी तरह को चक्रानुक्रम का पालन ऐसे निर्धारित कोटा के पद भरने के लिए किया जायेगा.

परन्तु उपरोक्त चक्रानुक्रम प्रतिवर्ष चालू खाते के रूप में निर्धारित कोटा की उपलब्धि तक क्रियान्वित किया जाएगा. उपरोक्तानुसार कोटा के भाग के संवर्ग पद के बाद होने वाले रिक्तियों को यथास्थिति पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से भरा जायेगा.

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के संवर्ग (क) की सेवा में नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी :—

(एक) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता परस्पर उनके निम्नतर संवर्ग में परस्पर वरिष्ठता द्वारा अवधारित की जाएगी;

(दो) सिविल जजों (वरिष्ठ श्रेणी) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से गुणानुक्रम के आधार पर पदोन्नत व्यक्ति की वरिष्ठता चयन सूची में दर्शाए गए गुणानुक्रम में अवधारित की जाएगी, पूर्व परीक्षा के आधार पर पदोन्नत व्यक्ति पश्चात्‌वर्ती परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(तीन) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता परस्पर चयन सूची में दर्शाए गुणानुक्रम के आधार पर होगी, जिनकी भर्ती पहले की गई हो वे बाद में भर्ती किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे;

(चार) पदोन्नत व्यक्ति तथा सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति से संबंधित वरिष्ठता रोस्टर बिंदु के अनुसार अवधारित की जाएगी. रोस्टर बिंदु पर नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आरक्षित कोटा के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर ऐसा रोस्टर बिंदु इस शर्त के साथ अग्रनीत किया जाएगा कि नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नत तथा भर्ती किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति आदेश में जारी दिनांक के आधार पर अवधारित की जाएगी.

वेतन, भत्ते, सुविधाएं तथा सेवा की अन्य शर्तें.

12. (1) सेवा के सदस्यों को वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं शेट्टी वेतन आयोग के रूप में सामान्यत: ज्ञात प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ (2002 ए.आई.आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1706) के प्रकरण में प्रदत्त निर्णय दिनांक 21-3-2002 द्वारा स्वीकृत, अनुसार दिया जाएगा.

(2) सेवा के सदस्यों के वेतनमान का निर्धारण छत्तीसगढ़ निम्नतर तथा उच्चतर न्यायिक सेवा वेतन, पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003 के अनुसार किया जाएगा.

(3) सेवा के सदस्यों को अन्य भत्ते एवं सुविधा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को देय और उपलब्ध है तथा जो शेट्टी वेतन आयोग द्वारा स्पष्टत: प्रदाय नहीं की गई है अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय अथवा आयोग प्रतिवेदन के विपरीत नहीं है, भी दी जायेंगी.

(4) सेवा के सदस्यों को तत्स्थानी शासकीय सेवकों को प्रभावी सेवा शर्तों से संबंधित अन्य नियम सामान्यत: जो इस नियम से असंगत नहीं है, लागू होंगे.

अधिवार्षिकी आयु.

13. (1) मूलभूत नियम के नियम 56 के उपनियम (3) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दिये गये उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी;

परन्तु यह कि सेवा के किसी सदस्य के 58 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पर्याप्त समय पूर्व, उच्च न्यायालय, सेवा के सदस्य के अभिलेख का निर्धारण तथा मूल्यांकन पश्चात् उसे सेवा में निरंतर रखना उपयुक्त तथा योग्य नहीं पाने पर 58 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उस सदस्य के सेवानिवृत्ति की अनुशंसा करेगा.

(2) सेवा के सदस्य को मूलभूत नियम, 56 के उपनियम (3) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन समय पूर्व सेवानिवृत्त अथवा उपनियम (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त की जाय अथवा न की जाय के, परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मुख्य न्यायाधिपति अपनी अध्यक्षता में सेवा के ऐसे सदस्य के पिछले रिकार्ड के आधार पर गोपनीय चरित्रावली, निर्णय/आदेश के गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा, ख्याति तथा उसकी उपयोगिता जैसे अन्य सुसंगत तथ्यों के मूल्यांकन एवं छानबीन हेतु छानबीन समिति गठित कर सकेंगे.

14. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण के पूर्व ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो मुख्य न्यायाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा :— शपथ.

"मैं, ... जो छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा."

15. सेवा के सदस्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या ऐसे किसी सरकार की पूर्णत: या भागत: स्वामित्व या नियंत्रण के किसी संगठन की सेवा में या बाह्य सेवा या उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कर्त्तव्य के पालन के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जा सकेंगे. प्रतिनियुक्ति.

16. इन नियमों के निर्वचन में यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा. निर्वचन.

17. जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष या विशेष वर्ग के मामले के क्रियान्वयन में अनावश्यक कठिनाई होती है तो वह कारण अभिलिखित कर ऐसी सीमा तक तथा ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह आवश्यक समझे उस विशिष्ट नियम से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या उसे शिथिल कर सकेगा. शिथिलीकरण की शक्ति.

परन्तु यह कि जब कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान की जायेगी तो उसकी सूचना राज्यपाल को दी जाएगी.

18. छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 तथा आदेश, संकेल्प, यदि कोई, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित या विखंडित यथास्थिति किए जाते हैं; निरसन एवं व्यावृत्ति.

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन जारी कोई आदेश या की गयी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी या किए गए समझे जाएंगे.

Raipur, the 7th April 2006

NOTIFICATION

F. No. 2985/943/21-B/C.G.—In exercise of powers conferred by Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, to regulate the Recruitment and Service Condition of Members of Higher Judicial Service, in supersession of the existing Rules in force, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court hereby makes the following Rules :—

RULES

1. (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006. Short title and Commencement.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to all the members of the Chhattisgarh Higher Judicial Service.

Definitions.

2. In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Advocate" means an Advocate defined in Advocate Act, 1961;

(b) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh;

(c) "Direct Recruitment" means direct recruitment to the post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 5;

(d) "District Judge" includes Additional Judge to the Court of District Judge, Additional District Judge, Sessions Judge and Additional Sessions Judge;

(e) "Foreign Service" means the service as defined in sub-rule (7) of rule 9 of Chhattisgarh Fundamental Rules;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(h) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh;

(i) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Higher Judicial Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh;

(l) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(m) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.

Constitution of Service.

3. (1) The Service shall consist of the following categories namely,—

(a) District Judge (entry level) (in pay scale Rs. 16,750-400-19,150-450-20,500);

(b) District Judge (selection grade) (in pay scale Rs. 18,750-400-19,150-450-21,850-500-22,850);

(c) District Judge (super time scale) (in pay scale Rs. 22,850-500-24,850);

The pay scales provided in clause (a), (b) and (c) shall be revisable from time to time subject to revision of salary of High Court Judges, by maintaining the present ratio.

(2) The Service shall consist of following persons :—

(a) Persons who, at the time of commencement of these Rules are holding substantive or officiating post of District Judge.

(b) Persons recruited directly or promoted to the service in accordance with the provisions of these Rules.

4. The Strength of Service shall be as determined by the Governor from time to time in consultation with the High Court:

Strength of Service.

Provided that the number of posts in categories (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 3 shall be 25% and 10% respectively of the total number of the Cadre Posts of District Judge:

Provided further that whenever any member of the service appointed in categories (a), (b) or (c) of sub-rule (1) of rule 3 is posted on deputation in any department or undertaking of the State or Central Government or Public undertaking or to foreign service, or is required by the Chief Justice or the High Court to serve on any post other than the cadre post, his post shall be treated Ex-cadre Post causing vacancy in the Cadre-Strength of the Service.

5. (1) Recruitment and appointment to the posts in category (a) of sub-rule 1 of rule 3 shall be made as under,—

Method of Recruiment and Appointment.

(a) 50% by promotion from amongst Civil Judges (Senior Division) on the basis of merit-cum-seniority and passing suitability test to be conducted by the High Court;

(b) 25% by promotion from amongst Civil Judges (Senior Divison) having completed minimum 5 years of service, strictly on the basis of merit, through limited competative examination to be held by the High court ; and

(c) 25% by direct recruitment from amongst the eligible Advocate on the basis of written and viva-voce test conducted by the High Court;

Provided that the procedure of selection for promotion to categories (a) and (b) and direct recruitment to category (c) shall be such as may be prescribed by the High Court.

(2) Appointment to categories (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 3 shall be made on the basis of merit-cum-seniority;

Provided that no Member of service shall be appointed to the category specified in clause (b) of sub-rule (1) of rule 3 unless he has served minimum 5 years in the Cadre of District Judge, and no Member of the service shall be appointed to the category specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 unless he has served minimum 3 years on the Cadre of Selection Grade District Judge.

6. (1) 15%, 18% and 14% of posts for direct recruitment under clause (c) of sub-rule (1) of rule 5 shall be reserved for the candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes respectively;

Reservation of Posts for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.

Provided that if sufficient number of suitable candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes are not available, such posts shall be re-advertised before the expiry of one year and if again suitable candidates belonging to above classes are not available, such post shall be treated as "Unreserved".

(2) 30% of the posts shall be reserved for the women candidates at the stage of direct recruitment under category (c) of sub-rule (1) of rule 5 and the reservation shall

be horizontal and compartmentwise.

Explanation :—"Horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely; Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes and General.

Qualification for direct recruitment under clause (c) of sub-rule 1 of rule-5.

7. (i) No persons shall be eligible for appointment by direct recruitment unless, he or she,

(a) is a citizen of India;

(b) has attained the age of 35 years and has not attained the age of 45 years on the first day of January in the year in which applications for appointment are invited, provided that upper age limit shall be relaxed upto a maximum limit of 3 years for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class;

(c) has for atleast seven years been an Advocate on the first day of January of the year in which applications for appointment are invited;

(d) has good character and is of sound mind and body and free from any bodily or mental disability which renders him unfit for such appointment.

(ii) A person shall be disqualified for appointment by direct recruitment, if, he or she;

(a) has more than one spouse living;

(b) has been dismissed or removed from service by any High Court, Government, Statutory Authority or Local Authority;

(c) has been convicated of an offence involving moral turpitude or has been permanently debarred or disqualified by any High Court or Union Public Service Commission or any State Public Service Commission or any Services Selection Board or Staff Selection Commission constituted under statutory provisions by the Government;

(d) has been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocates Act, 1961 or any other law for the time being in force.

Appointing Authority.

8. (1) All appointment to category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall be made by the Governor in accordance with the recommendations of the High Court.

(2) All appointment to categories (b) and (c) of sub-rule (1) of rule3 shall be made by the High Court.

Probation.

9. (1) A person selected to a post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 by direct recruitment under the provision of clause (c) of sub-rule (1) of rule 5 shall be appointed on probation for a period of two years and a person promoted to a post in

category (a) of sub-rule (1) of rule 3 under the provision of clause (a) and (b) of sub-rule (1) of rule 5 shall be appointed in officiating capacity for a period of two years.

(2) A person appointed to a post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 by direct recruitment under the provision of clause (c) of sub-rule 1 of rule 5 shall undergo a judicial training for one year in accordance with the scheme prepared by the High Court which shall include training in the State Judicial Officers Training Institute and/or such other Training Institute/Academy as may be directed by the High Court.

(3) The High Court may at any time extend the period of probation or officiation, as the case may be, but the total period of such probation or officiation, shall not ordinarily exceed four years.

(4) The High Court may, at any time, before the completion of probation or officiation, as the case may be, recommend termination of the service of a direct recruit or recommend reversion of a promotee member of the Service to his substantive post from which he was promoted.

(5) On successful completion of probation or officiation, as the case may be, the probationer or the promotee shall be confirmed in the Service and if no permanent post is available, a certificate shall be issued by the High Court to the effect that he would have been confirmed, but for the non-availability of the permanent post, he has not been so confirmed and as soon as a permanent post becomes available, he shall be confirmed.

(6) A person appointed on probation, or promoted in the officiating capacity, to the service, shall continue as such until confirmed or terminated or reverted, as the case may be.

Postings and Transfer.

10. All postings and transfers of members of the Service shall be made by the High Court except in the registry or Institution associated with the Registry, which shall be made by the Chief Justice.

Seniority.

11. (1) The relative seniority of the members of Service holding substantive or officiating post at the time of commencement of these rules shall continue to be the same as it exsit at the commencement of these rules.

(2) After the commencement of these rules, the cadre post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall be filled-up by rotation based on the quota fixed in clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 5. Thus, in the roster point, first two posts shall be reserved for the promotees from the lower Cadre, one post shall be reserved for a Member promoted through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) and one post shall be reserved for a direct recruit. The same rotation shall be followed to filled-up the post according to quota so fixed;

Provided that the above roster shall be implementated in the form of running account from year to year till the quota so fixed is achieved. Vacancies arising thereafter in the Cadre posts belonging to aforementioned slots of quota shall be filled-up by promotion or direct recruitment as the case may be.

(3) Seniority of persons appointed under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 5 to the Service in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall be determined in the following manner :—

(i) The Seniority, inter se, of persons appointed by promotion, shall be determined by their inter se seniority in lower cadre;

(ii) The Seniority, inter se, of person promoted on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division), shall be determined in the order of merit in whcih they are placed in the select list, those promoted on the basis of earlier examination being ranked senior to those promoted on the basis of later examination;

(iii) Persons appointed to the Service by direct recruitment shall be ranked inter se in the order of merit they are placed in the select list, those recruited earlier shall be ranked senior to those recruited later;

(iv) The relative seniority of promotees and direct recruits shall be determined according to roster points. In the event of non-availability of suitable candidates of the reserved quota specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 5 at the roster point, such roster point shall be carried forward with the condition that the relative seniority of promotees and direct recruits under clause (a) of sub-rule 1 of rule 5 shall be determined on the basis of the date of issue of appointment order.

Pay, Allowances, facilities and other conditions of Service.

12. (1) The members of the Service shall be paid pay, allowances and be provided facility as recommended by the First National Judicial Pay Commission popularly known as Shetty Pay Commission and accepted by the Superme Court of India in its judgment dated 21-3-2002 in the case of All India Judges Association Vs. Union of India, (2002 AIR SCW 1706).

(2) Fixation of pay of the members of Service shall be made in accordance with the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Revision of pay of Rules, 2003).

(3) The members of the Service shall also be paid such other allowances and provided with the facilities which are payable and available to the members of Indian Administrative Service and have not been expressly provided in the Shetty Pay Commission's report and the judgment of the Superme Court or not contrary to such report or judgment.

(4) The other rules relating to conditions of service of Government Servant of the corresponding grade in general not inconsistent with these rules shall be applicable to the Members of the service.

Superannuation Age.

13. (1) The retirement age of a Member of the Service shall be 60 years without prejudice to the provisions contained in sub rule (3) of rule 56 of the Fundamental Rules and clause (b) of sub-rule (1) of rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976.

Provided that well within time before the attainment of the age of 58 years by a Member of the Service, the High Court after assessment and evaluating the record if not found fit and eligible to continue in Service, recommend the retirement of such Member of the Service on completion of the age of 58 years.

(2) For finding out whether a Member of the Service should be retired prematurely under sub-rule (3) of rule 56 of the Fundamental Rules and clause (b) of sub-rule (1) of Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 or compulsorily retired under the first proviso of sub-rule (1), the Chief Justice may constitute a Screening Committee headed by himself for the scrutiny and assessment of such Member of the Service based on his past record of service, character rolls, quality of judgments/orders and other relevant matters like his integirty, reputation and utility.

14. **Oath.** Every person, appointed to the Service by direct recruitment before he joins, shall make and subscribe before such person as may be specified by the Chief Justice, oath or affirmation in the following form :—

"I,...having been appointed as a member of the Chhattisgarh Higher Judicial Service, do sear in the name of God/solemnly affirm, that I will bear true faith and allegiance to the Consitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws".

15. **Deputation.** A member of the Service may be appointed in deputation to perform the duties of any post under Central Government or the State Government or to serve in an organisation, which is wholly or partly owned or controlled by such Government or in foreign service or in the High Court.

16. **Interpretation.** If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of High Court shall be final.

17. **Power to Relax.** Where the High Court is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case or class it may for reason to be recorded in writing despense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be deemed necessary;

Provided that as and when any such relaxation is granted by the High Court, the Governor shall be informed of the same.

18. **Repeal & Saving.** Chhattisgarh Uchchtar Nyayik Seva (Bharti Tatha Seva Sharten) Niyam, 1994 and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed or rescinded as the case may be, in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

अधिसूचना

फा. क्र. 2986/943/21-ब/छ.ग.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तें को विनियमित करने हेतु तथा इस विषय पर प्रवृत्त नियमों को अतिष्ठित करते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं.

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(3) यह छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों पर लागू होगा.

परिभाषाएं. 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य न्यायाधिपति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्रेत है, नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) के पदों का नियम 5 के उपनियम (1) में विहित रीति में की गयी सीधी भर्ती;

(घ) "बाह्य सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 9 के उपनियम (7) यथा परिभाषित सेवा;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(छ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ङ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति.

3. (1) सेवा में निम्नलिखित प्रवर्ग होंगे, अर्थात् :— सेवा का गठन.

व्यवहार न्यायाधीश :—

(क) प्रवेश स्तर (वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550)

(ख) वरिष्ठ वेतनमान प्रक्रम सुनिश्चित क्रमोन्नति वेतनमान योजना, प्रथम प्रक्रम, (वेतनमान रुपये 10,750-300-13,150-350-14,900) प्रवेश की तारीख से 5 वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात्.

(ग) चयन श्रेणी/प्रवर श्रेणी सुनिश्चित क्रमोन्नत श्रेणी वेतनमान योजना का द्वितीय प्रक्रम (वेतनमान रुपये 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550), 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात् यदि वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत न हुआ हो.

(2) वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश :—

(क) पदोन्नत संवर्ग (वेतनमान रुपये 12,850-300-13,150-350-15,950-400-17,550)

(ख) वरिष्ठ वेतनमान-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनिश्चित क्रमोन्नत श्रेणी वेतनमान योजना- (वेतनमान रुपये 14,200-350-15,950-400-18,350) व्यवहार न्यायाधीश के रूप में लगातार 5 वर्ष की सेवा के पश्चात्.

(ग) चयन श्रेणी सुनिश्चित क्रमोन्नत श्रेणी वेतनमान योजना का द्वितीय प्रक्रम (वेतनमान रुपये 16,750-400-19,150-450-20,500) 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात्, यदि उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश संवर्ग पर पदोन्नत न हुआ हो.

उपनियम (1) तथा (2) में उपबंधित वेतनमान वर्तमान अनुपात का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पुनरीक्षण के अध्यधीन समय-समय पर पुनरीक्षण योग्य होगी.

ए.सी.पी. वेतनमान का लाभ, उच्च न्यायालय द्वारा कार्य एवं अनुपालन के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा.

(3) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) व्यक्ति जो, इन नियमों के प्रारंभ होने पर, मूल या स्थानापन्न रूप में व्यवहार न्यायाधीश पद कनिष्ठ वेतनमान (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के रूप में जाना जाय) तथा व्यवहार न्यायाधीश-वरिष्ठ वेतनमान (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के रूप में जाना जाय) श्रेणी-सह-मुख्य तथा व्यवहार न्यायाधीश चयन न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद धारण करते हों.

(ख) व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में सीधे या पदोन्नति द्वारा भरे गए हों.

सेवा की सदस्य संख्या.

4. सेवा की संख्या ऐसी होगी जो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित की जाए,

परन्तु नियम 3 के उपनियम (2) में पदों की संख्या व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) संवर्ग में स्थायी पदों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत होगा.

भर्ती तथा नियुक्ति का तरीका.

5. (1) नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) की समस्त नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा चयन, आयोग की सिफारिश के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,

परन्तु अभ्यर्थियों के चयन के लिये परीक्षा के आयोजन हेतु प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम आयोग द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार के परामर्श से विहित किया जाएगा,

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश जिसका नाम निर्देशन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जायेगा, चयन समिति के सदस्यों में से एक सदस्य होगा तथा उसके द्वारा उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध में दिए गए मत की अवहेलना लिखित में दर्ज किए गए ठोस ओर तर्कपूर्ण कारणों के सिवाय नहीं की जायेगी.

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के प्रवर्ग पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायाधीशों में से चयन एवं पदोन्नति, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर होगी.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये पदों का आरक्षण.

6. (1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सीधी भरती (प्रवेश स्तर) के लिये पद, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे.

(2) सेवा में समस्त पदों का 30 प्रतिशत सीधी भर्ती (प्रवेश स्तर) के प्रक्रम पर महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे तथा यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा.

स्पष्टीकरण- "समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण" से अभिप्रेत है, प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा सामान्य वर्ग में आरक्षण.

(3) सेवा में समस्त पदों का 02 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग, अस्थि रोग से अक्षम, व्यक्तियों को, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में विहित उपबंध की शर्तें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा पारित अधिसूचनाओं, परिपत्र, निर्देशों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे.

पात्रता.

7. (1) कोई व्यक्ति, नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) में पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह ;—

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन का 21 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, जिस वर्ष में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है ;

परन्तु ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े से हो,

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य प्रत्येक वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी,

परन्तु यह और भी कि अभ्यर्थी की ऊपरी आयु सीमा चाहे वह स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, उपरोक्त दिए जाने वाली छूट के अतिरिक्त 3 वर्ष की और छूट होगी,

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधिधारण नहीं करता हो,

(घ) अच्छे चरित्र का न हो तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ न हो तथा ऐसी कोई निर्योग्यता से मुक्त न हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता हो.

(2) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह,

(क) एक से अधिक जीवित पति/पत्नि रखता हो,

(ख) किसी उच्च न्यायालय, सरकार, शासकीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो,

(ग) किसी नैतिक अनाचार के अपराध में शामिल रहने के लिये दोषसिद्ध हो या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हित कर दिया गया हो,

(घ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो.

8. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी प्रयास में भाग लेने पर परीक्षा में प्रवेश या सेवा में चयन के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा. **निरर्हता.**

9. परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय.**

10. (1) आयोग, पद के लिए अभ्यर्थी की योग्यता के क्रम में बनायी गयी एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगी. सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जायगा. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**

(2) इन नियमों के उपबंधों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम सूची में आए हैं.

11. (1) नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा. **परिवीक्षा.**

(2) नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) में नियुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा तैयार योजना के अनुसार एक वर्ष के न्यायिक प्रशिक्षण में भेजा जाएगा जिसमें राज्य न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण भी शामिल है.

(3) उच्च न्यायालय परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय परिवीक्षावधि को बढ़ा सकता है किन्तु परिवीक्षा की कुल कालावधि तीन वर्ष से अनधिक होगी.

(4) उच्च न्यायालय, परिवीक्षावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय सेवा के सदस्यों की परिवीक्षावधि के पूर्व नियम 3 के उपनियम (1) के प्रवर्ग (क) में नियुक्त व्यवहार न्यायाधीश को सेवा समाप्त करने की अनुशंसा कर सकेगा.

(5) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी कर लेने पर परिवीक्षाधीन को उसकी सेवा या पद पर जिस पर उसे नियुक्त किया गया हो स्थायी कर दिया जाएगा और अगर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा.

(6) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति तब तक उसी रूप में बना रहेगा जब तक वह इस नियम के उपनियम (4) या उपनियम (5) के तहत स्थायी या सेवामुक्त, यथास्थिति, नहीं कर दिया जाता.

(7) जब कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति स्थायी कर दिया जाता है तो वह परिवीक्षा की सम्पूर्ण कालावधि की वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात होगा.

पदस्थापना एवं स्थानांतरण.

12. सेवा में नियुक्त समस्त व्यक्तियों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किए जाएंगे.

ज्येष्ठता.

13. (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय मूल या स्थानापन्न पद धारित सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता उसी रूप में बनी रहेगी जैसी कि इन नियमों के प्रारंभ होने के समय विद्यमान थे.

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी.

वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें.

14. (1) सेवा के सदस्यों को वेतन तथा भत्ते, तथा सुविधाएं प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी वेतन आयोग) द्वारा अनुशंसित तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, (2002 ए. आई. आर., एस. सी. डब्ल्यू. 1706) के मामले में दिनांक 21-3-2002 के उसके निर्णय द्वारा स्वीकृत रूप में देय होंगे.

(2) सेवा के सदस्यों के वेतन का निर्धारण छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक तथा उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण नियम, 2003) के अनुसार की जाएगी.

(3) सेवा के सदस्य अन्य लाभ के भी हकदार होंगे तथा उनकी सेवा शर्तें इन नियमों से सामान्य एवं अनसंगत रूप में तत्स्थानी वर्ग के शासकीय सेवकों को लागू विद्यमान नियम के अनुसार शासित होंगे.

अधिवार्षिकी आयु.

15. (1) मूलभूत नियम के नियम 56 के उपनियम (3) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी.

परन्तु यह कि सेवा के किसी सदस्य के 58 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पर्याप्त समय पूर्व, उच्च न्यायालय, सेवा के सदस्य के अभिलेख का निर्धारण तथा मूल्यांकन पश्चात् उसे सेवा में निरन्तर रखना उपयुक्त तथा योग्य नहीं पाने पर 58 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उस सदस्य के सेवानिवृत्ति की अनुशंसा करेगा.

(2) सेवा के सदस्य को मूलभूत नियम, 56 के उपनियम (3) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेन्शन नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन समय पूर्व सेवानिवृत्त अथवा उपनियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त की जाय अथवा न की जाय के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मुख्य न्यायाधिपति अपनी अध्यक्षता में सेवा के ऐसे सदस्य के पिछले रिकार्ड के आधार पर गोपनीय चरित्रावली, निर्णय/आदेश के गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा, ख्याति तथा उसकी उपयोगिता जैसे अन्य सुसंगत तथ्यों के मूल्यांकन एवं छानबीन हेतु छानबीन समिति गठित कर सकेंगे.

16. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण के पूर्व ऐसे व्यक्ति के समक्ष जैसी कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए. निम्नलिखित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान प्रस्तुत तथा अभिदत्त करेगा :— **शपथ.**

"मैं, ... जो निम्नतर न्यायिक सेवा के रूप में नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा".

17. सेवा के सदस्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसे किसी सरकार के पूर्णत: या भागत: नियंत्रण में किसी उपक्रम की सेवा में या बाह्य सेवा या उच्च न्यायालय में किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जा सकेंगे. **प्रतिनियुक्ति.**

18. इन नियमों के निर्वचन में यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा. **निर्वचन.**

19. जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी नियम के प्रवर्तन में किसी विशिष्ट मामले में अनावश्यक कठिनाई होती है तो वह आदेश द्वारा तथा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसी सीमा तक तथा ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि वह आवश्यक समझे विशिष्ट नियम से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या उसे शिथिल कर सकेगा. **शिथिलीकरण की शक्ति.**

परन्तु जैसी कि या जब भी, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई शिथिलीकरण किया जाता है तो उसकी जानकारी राज्यपाल को दी जाएगी.

20. छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 तथा आदेश, संकल्प यदि कोई हो, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित या विखंडित, यथास्थिति, किए जाते हैं. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी.

Raipur, the 7th April 2006

NOTIFICATION

F. No. 2986/943/21-B/C.G.—In exercise of powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, to regulate the Recruitment and Service Condition of Members of Lower Judicial Service, in

supersession of the existing Rules in force, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court and State Public Service Commission hereby makes the following Rules :—

RULES

Short title and Commencement.

1. (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to all the members of the Chhattisgarh Lower Judicial Service.

Definitions.

2. In these Rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Direct Recruitment" means direct recruitment to the post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 5;

(d) "Foreign Service" means the service as defined in sub-rule (7) of rule 9 of Chhattisgarh Fundamental Rules;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(g) "High Court" means the High Court of Chhattisgarh;

(h) "Other Backward Classses" means Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by notification;

(i) "Recognised University" means any University recognised by the Government of India;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Lower Judicial Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh;

(l) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste specified in relation to this State under Article 341 of the Consitition of India;

(m) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

Constitution of Service.

3. The Service shall consist of the following categories namely;—

(1) Civil Judge—

(a) Entry level (in pay scale Rs. 9000-250-10,750-300-13,150-350-14,550);

(b) Superior Scale-First Stage of Assured Career Progression Pay Scale (in pay scale Rs. 10,750-300-13,150-350-14,900) after 5 years of continuous service from the date of entry;

(c) Selection Grade-Second Stage of Assured Career Progression Pay Scale (in pay scale Rs. 12,850-300-13,150-350-15950-400-17,550) after completion of another 5 years of continuous service, if not promoted as Senior Civil Judge.

(2) Senior Civil Judge—

(a) Promotion Cadre (in pay scale Rs. 12,850-300-13,150-350-15,950-400, 17,550);

(b) Superior Scale-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate-First State of Assured Career Progression Pay Scale (in pay scale Rs. 14,200-350-15,950-400-18,350) after 5 years of continuous service as Senior Civil Judge;

(c) Selection Grade-Second Stage of Assured Career Progression Pay Scale (in pay scale Rs. 16,750-400-19,150-450-20,500) after completion of another 5 years of continuous service, if not promoted to the cadre of District Judge in Higher Judicial Service ;

The pay scales provided in sub-rule (1) and (2) shall be revisable from time to time subject to revision of salary of High Court Judges, by maintaining the present ratio.

The conferment of benefit by way of ACP Scales shall be made on the appraisal of the work and performance by the High Court.

(3) The Service shall consist of the following persons—

(a) Persons who, at the time of commencement of these rules are holding substantive or officiating capacity, the post of Civil Judges-Junior Scale (Known as Civil Judge Class-II), Civil Judges-Senior Scale (Known as Civil Judge Class-I) and Civil Judges Selection Grade-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate;

(b) Persons recruited directly or promoted to the Services in accordance with the provision of these rules.

Strength of Service.

4. The strength of Service shall be as determined by the Governor from time to time in consultation with the High Court :

Provided that the number of posts in sub-rule (2) of rule 3 in the cadre of Senior Civil Judge shall be 40% of the total number of permanent posts in the cadre of Civil Judges.

Method of Recruitment and Appointment.

5. (1) All appointments to category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall be made by the Governor by direct recruitment in accordance with the recommendations of the Commission on selection ;

Provided that the procedure and curriculum for holding examinations for the selection of candidates shall be prescribed by the Commission in consultation with the High Court and the State Government;

Provided further that a sitting Judge of the High Court nominated by the Chief Justice, shall be one of the member of the selection Committee and the opinion

given by him with regard to the suitability of the candidate shall not be disregarded except for strong and cogent reasons to be recorded in writing.

(2) Appointment to category sub-rule (2) of rule 3 shall be made by the High Court by selection & promotion amongst Civil Judges on the basis of merit-cum-seniority.

Reservation of Posts for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, Women & Physically Handicapped Persons.

6. (1) Posts for direct recruitment (entry level) shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) 30% of the posts shall be reserved for the women candidates at the stage of direct recruitment (entry level) and the reservation shall be horizontal and compartment-wise.

Explanation :—"Horizontal and compartment-wise reservation" means reservations in each category namely; Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and General.

(3) Two percent of the posts shall be reserved for the physically handicapped persons having orthopedical disability, in accordance with the notifications, circulars and instructions issued by the State Government from time to time, subject to the conditions as provided in clause (d) sub-rule (1) of rule 7.

Eligibility.

7. (1) No person shall be eligible for appointment to posts in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 unless, he or she,—

(a) is a citizen of India;

(b) has completed the age of 21 years and has not completed the age of 35 years on the first day of January of the next following year in which applications for appointment are invited ;

Provided that upper age limit shall be relaxable upto a maximum limit of 5 years for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes ;

Provided further that the upper age limit shall be relaxable upto a maximum limit of 10 years in case of women candidates belonging to each category namely Scheduled Caste, Scheduled Tribe or other Backward Classes and General ;

Provided further that the upper age limit for Government servant whether permanent or temporary, shall be relaxable upto further 3 years in addition to the relaxations available as above;

(c) possesses a degree in law of any recognised University;

(d) has good character and is of sound health and mind and is free from any disability which renders him unfit for such appointment ;

(2) A person shall be disqualified for appointment by direct recruitment, if, he / she;

(a) has more than one spouse living;

(b) has been dismissed or removed from service by any High Court, Government, Statutory Authority or Local Authority;

(c) has been convicated of an offence involving moral turpitude or has been permanently debarred or disqualified by any High Court or Union Public Service Commission or any State Public Service Commission or any Services Selection Board or Staff Selection Commission;

(d) has been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocates Act, 1961 or any other law for the time being in force.

8. Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature, by any means, may be a disqualification for admission to examination or selection for the service. **Disqualification.**

9. The decision of the Commission as to eligibility or otherwise of the candidate for admission to the examination shall be final. **Commission's Decision about Eligibility of candidates.**

10. (1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates qualified for the post. The list shall be published for general information. **List of Candidates Recommended by the Commission.**

(2) Subject to the provisions of these rules and Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

11. (1) A person appointed to category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall be posted on probation for a period of two years. **Probation.**

(2) A person appointed to a post in category (a) of sub-rule (1) of rule 3 shall undergo a judicial training for a period of one year in accordance with the scheme prepared by the High Court and shall also include training in the State Judicial Officers Training Institute.

(3) The High Court may, at any time, before the completion of probation period extend the period of probation, but the total period of probation shall not exceed three years.

(4) The High Court, may at any time, before the completion of period of probation, recommend the termination of the services of Civil Judge appointed to the category (a) of sub-rule (1) of rule 3.

(5) On successful completion of probation, a probationer shall be confirmed in the Service or post, to which, he has been appointed and if no permanent post is available, a certificate shall be issued in his favour by the High Court to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and as soon as a permanent post becomes available, he shall be confirmed.

(6) A person appointed on probation shall continue as such until terminated or confirmed under sub-rule (4) or sub-rule (5) as the case may be.

(7) When a probationer is confirmed, he shall be allowed to draw annual increment for the whole of the period of probation.

Postings and Transfers.

12. All posting and transfers of person appointed to the Service shall be made by the High Court.

Seniority.

13. (1) The seniority of the members of the Service holding substantive or officiating post at the time of commencement of these rules shall continue to be the same as it exist at the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons appointed to the Service after the commencement of these rules shall be determined in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Pay, Allowances and other conditions of Service.

14. (1) The members of the Service shall be paid, pay, allowances and be provided with facilities as recommended by the First National Judicial Pay Commission (Shetty Pay Commission) as accepted by the Supreme Court of India in its judgment dated 21-3-2002 in the case of All India Judges Association Vs. Union of India, (2002 AIR SCW 1706).

(2) Fixation of pay of the members of Service shall be made in accordance with the Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Revision of Pay of Rules, 2003).

(3) The members of Service shall also be entitled to other benefits and their conditions of Service shall be governed in accordance with the existing rules applicable to the Government Servants of the corresponding grade in general and not inconsistent with these rules.

Supperannuation Age.

15. (1) The retirement age of a Member of the Service shall be 60 years without prejudice to the provisions contained in sub-rule (3) of rule 56 of the Fundamental Rules and clause (b) of sub-rule (1) of rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976.

Provided that well within time before the attainment of age of 58 years by a member of the Service, the High Court, after assessment and evaluating the record if not found fit and eligible to continue in Service may recommend the retirement of such Member, of the service on completion of the age of 58 years.

(2) For finding out whether a Member of the Service should be retired prematurely under sub-rule (3) of rule 56 of the Fundamental Rules and clause (b) of sub-rule (1) of Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 or compulsorily retired under the first proviso of sub-rule (1), the Chief Justice may constitute a Screening Committee headed by himself for the scrutiny and assessment of such Member of the Service based on his past record of service, character rolls, quality of judgments/orders and other relevant matters like his integrity, reputation and utility.

Oath.

16. Every person, appointed to the Service by direct recruitment before he joins, shall make and subscribe before such person as may be specified by the Chief Justice, oath or affirmation in the following form :—

"I,...having been appointed as a member of the Chhattisgarh Lower Judicial Service, do swear in the name of God/solemnly affirm, that I will bear true faith and

allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws".

17. A member of the Service may be appointed in deputation to perform the duties of any post under Central Government or the State Government or to serve in an organisation, which is wholly or partly owned or controlled by such Government or in foreign service or in the High Court.

Deputation.

18. If any question arises as to the interpretation of these rules, the decision of High Court shall be final.

Interpretation.

19. Where the High Court is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case or class it may for reason to be recorded in writing despense with or relax the particular rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as may be deemed necessary;

Power to Relax.

Provided that as and when any such relaxation is granted by the High Court, the Governor shall be informed of the same.

20. Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994 and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed or rescinded as the case may be, in respect of matters covered by these rules ;

Repeal & Saving.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल 2006—चैत्र 22, शक 1928

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-126/गृह-सी/01.—चूंकि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि निम्नलिखित संगठन विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है और हिंसा, आतंक में सक्रिय और प्रेरक है, आग्नेशस्त्रों विस्फोटक तथा अन्य लेख द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा को सामुदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे है, कानून और व्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं तथा स्थापित विधि एवं संस्थाओं के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले हैं ;

और चूंकि इस संबंध में ये संगठन अपनी विधि विरुद्ध गतिविधियों द्वारा विस्फोटकों जैसे बारुदी सुरंग, बम, हथगोले, स्टेनगन, लोकल ग्रेनेड, डिटोनेटर, राकेट लांचर, ट्यूब लांचर, रायफल, ए. के. 47, 12 बोर मैग्जीन, एस. एल. आर. चार्जर, देशी बन्दूक, पिस्टल एवं अन्य स्थानीय गोला बारुद का संग्रह करके, बड़ी संख्या में लोगों को मार रहे हैं, आगजनी, अपहरण एवं हत्या कर रहे हैं. राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है कि ऐसे संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करें ;

अतएव छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित संगठनों को दिनांक 12-4-2006 से गैर कानूनी संगठन घोषित करती है,—

(1) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी),

(2) दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ,

(3) क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ,
(4) क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ,
(5) क्रांतिकारी किसान कमेटी,
(6) महिला मुक्ति मंच.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-4-126/Home-C/01.—Whereas there are reports with the State Government that the following organisation indulge in unlawful activity and active and indulging in acts of violence, terrorism, encouraging the use of fire arms, explosives and other devices, endangering public order, peace and safety, disrupting communications, causing interference with the administration of law and preaching disobedience to established law and institution, which are prejudicial to the security of the State ;

And whereas having regard to the unlawful activities of these organisations causing large number of deaths, committing arsons, robbery, kidnapping and murder, accumulating explosives like landmines bombs, handgraned, Sten granade, local granade, detonator, rocket launcher, tube launcher, Rifles, A. K. 47, 12 Bore, Magazines, S. L. R. charger, countrymade guns, pistols and other local ammunitions, the State Government is satisfied that it is necessary to declare such organisations as unlawful organisation ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006) the State Government hereby declares the following organisations 'un-lawful organisation' with effect from 12th April, 2006,—

(1) Bhartiya Communist Party (Maowadi)
(2) Dandkarayan Adhivasi Kishan Majdoor Sangh,
(3) Krantikari Adhivasi Mahila Sangh,
(4) Krantikari Adhivasi Balak Sangh,
(5) Krantikari Kishan Committee,
(6) Mahila Mukti Manch.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.